रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062026-273671
CG-DL-E-20062026-273671

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948
No. 442] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

सा.का.नि. 493(अ).- कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 674(अ), तारीख 18 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18 सितंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) किसी कीटनाशी के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूरी करने के लिए आवेदन, अनुज्ञापन अधिकारी को डिजिटल रूप में प्ररूप 2 में किया जाएगा और उसके साथ प्रत्येक कीटनाशी के लिए दो हजार रुपए और उन सभी कीटनाशियों के लिए, जिनके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया गया है, अधिकतम बीस हजार रुपए की फीस होगी ।"।

3.उक्त नियम के नियम 10 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) कीटनाशियों के विक्रय, विक्रय के लिए स्टॉक या प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन, अनुज्ञापन अधिकारी को डिजिटल रूप में प्ररूप 2 में किया जाएगा और उसके साथ उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।"।

4.उक्त नियम के नियम 15 में,--

(क) उपनियम (2) में, "कीटनाशीवार प्ररूप 3 का परिशिष्ट ख में किसी रजिस्टर या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में प्रविष्ट किया जाना" शब्दों के स्थान पर, "कीटनाशीवार प्ररूप 3 के परिशिष्ट ख में अंकीय माध्यम से किया जाना" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में, "या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप" शब्दों के स्थान पर, "अंकीय माध्यम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्रत्येक विनिर्माणकर्ता या आयातकर्ता, तकनीकी श्रेणी के कीटनाशी और विनिर्मित कीटनाशी के ऐसे विक्रय, निर्माण या आयात को अंकीय प्ररूप में बनाए रखेगा और अनुज्ञापन अधिकारी को मासिक विवरण या विवरणी, क्रमशः प्ररूप 3 के परिशिष्ट घ1 और प्ररूप 3 के परिशिष्ट घ2 में, मास की समाप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।"।

5. उक्त नियम के नियम 24 में,--

(क) उपनियम (3) में, "तीन प्रतियों में" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4) उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्राप्ति और उपनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आपूर्ति की रिपोर्ट डिजिटल रूप में बनाई जाएगी ।"।

6. उक्त नियम के नियम 25 में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि फीस डिजिटल रूप में भी संदत्त की जा सकेगी ।"।

7. उक्त नियम के नियम 27 में, खंड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(6) अपने कर्तव्यों का पालन करने में, जिसमें नमूने लेना और स्टाक का अभिग्रहण करना सम्मिलित है, उसके द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों और की गई कार्रवाई का डिजीटल अभिलेख बनाए रखना और ऐसे अभिलेखों को अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करना तथा नियम 30, नियम 32 और नियम 33 के अधीन या अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में, भौतिक प्ररूप का उपयोग करके, उसके द्वारा किए गए ऐसे सभी निरीक्षणों और की गई कार्रवाई के चौबीस घंटों के भीतर, डिजीटल अभिलेख बनाया जाएगा ।"।

8. उक्त नियम के नियम 30 में, "प्ररूप 5(क) में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्,", या तो भौतिक या डिजिटल माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियम के नियम 32 में, "प्ररूप 5(ख) में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्,", या तो भौतिक या डिजिटल माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

10. उक्त नियम के नियम 33 में, "उस व्यक्ति की जिससे वह नमूना लेता है ऐसा प्रयोजन" शब्दों के स्थान पर, "उस व्यक्ति को, जिससे वह नमूना लेता है, ऐसा प्रयोजन, या तो भौतिक या डिजिटल माध्यम से," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

11. उक्त नियम के नियम 34 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु परीक्षण या विश्लेषण के लिए सूचना का प्ररूप डिजिटल माध्यम में जारी किया जाएगा ।"।

12. उक्त नियम की प्रथम अनुसूची के प्ररूप 3 में, परिशिष्ट ख, परिशिष्ट ग1, परिशिष्ट ग2, परिशिष्ट घ1 और परिशिष्ट घ2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट ख

कीटनाशियों के विक्रय/वितरण हेतु रजिस्टर [तकनीकी एवं सूत्रीकरण (जिसमें वाणिज्यिक कीट नियंत्रण प्रचालनों में प्रयुक्त कीटनाशी सम्मिलित हैं)]

(अभिलेख कीटनाशी-वार रखा जाना है)

[नियम 15 का उपनियम (2) देखें]

क्रम सं.	कीटनाशी की प्राप्ति की तारीख	विनिर्माता का नाम, जिससे प्राप्त हुआ		आपूर्तिकर्ता/ वितरक का नाम, यदि कोई हो, जिसके माध्यम से प्राप्त हुआ	बैच संख्या	विनिर्माण की तारीख	अवसान की तारीख	बीजक विवरण, संख्या, तारीख और प्राप्त आपूर्ति की मात्रा (मीट्रिक टन) जिसके माध्यम से आपूर्ति प्राप्त हुई	मात्रा (मीट्रिक टन)					बिल संख्या (नाम और पता, जिसे विक्रय/वितरित किया गया, विक्रय/वितरण की तारीख और मात्रा)	टिप्पण
									पिछला शेष, यदि कोई हो	प्राप्त हुआ	विक्रय किया/ वितरित किया		शेष		
		घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय								घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय			

तारीख:

हस्ताक्षर

कंपनी की मुहर

रिकॉर्ड से सत्यापित किया गया और पाया गया कि उपरोक्त जानकारी सही है।

तारीख और मुहर सहित कीटनाशी निरीक्षक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट ग1

तकनीकी श्रेणी के कीटनाशियों का स्टॉक रजिस्टर

(कीटनाशी-वार बनाए रखा जाना है)

[नियम 15 का उपनियम (3) देखें]

(मात्रा मीट्रिक टन में)

तारीख	आरंभिक शेष	मात्रा			कुल मात्रा	बेची गई मात्रा	विनिर्माण हेतु प्रयुक्त मात्रा				अंतिम शेष
		आयातित	विनिर्मित	घरेलू क्रय			विनिर्मित	आयातित	घरेलू क्रय	कुल	
1	2	(3क)	(3ख)	(3ग)	(4) [3क+3ख+ 3ग]	(5)	(6ङ)	(6च)	(6छ)	7 [6ङ+6च+6छ]	8 [4]- [5+7]

परिशिष्ट ग2

तैयार कीटनाशी का स्टॉक रजिस्टर

(कीटनाशी-वार बनाए रखा जाना है)

[नियम 15 का उपनियम (3) देखें]

(मात्रा मीट्रिक टन में)

क्र.सं.(1)	आरंभिक शेष (2)	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशी (3)			कुल तकनीकी श्रेणी के कीटनाशी (4) (2+3क+3ख+3ग)	निर्माण हेतु प्रयुक्त कुल तकनीकी श्रेणी (5)			तकनीकी श्रेणी के कीटनाशियों का शेष (6)	विनिर्माण का आरंभिक शेष (7)	विनिर्माण की मात्रा (8)			कुल विनिर्माण की मात्रा (9) (8क+8ख+8ग)	विक्रय की गई मात्रा (10)		अंतिम शेष (11)9-(10क+10ख)
		आयातित (3क)	विनिर्मित (3ख)	घरेलू रूप से क्रय (3ग)		आयातित (5क)	विनिर्मित (5ख)	घरेलू रूप से क्रय (5ग)	4-(5क+5ख +5ग)		आयातित (8क)	विनिर्मित (8ख)	घरेलू रूप से क्रय (8ग)		घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	

परिशिष्ट घ1

[नियम 15 का उपनियम (4) देखें]

………. से ……………. तक की अवधि के लिए तकनीकी ग्रेड कीटनाशियों (विनिर्मित/आयातित/घरेलू रूप से क्रय किए गए) की मासिक विवरणी/विवरण

क्रम संख्या	कीटनाशी का नाम	बैच संख्या	अवसान की तारीख	कुल मात्रा का विवरण (मीट्रिक टन)			विनिर्माण के लिए उपयोग की गई मात्रा (मीट्रिक टन)	क्रेता के नाम, पते और अनुज्ञप्ति संख्या सहित विक्रय की गई मात्रा (मीट्रिक टन)	
				आयातित	विनिर्मित	घरेलू रूप से क्रय		घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5क)	(5ख)	(5ग)	(6)	(7क)	(7ख)

सत्यापन

मैं ………………………………….. सत्यापित करता/करती हूं कि ऊपर बताई गई बातें अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं ………………………………….. (पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में इस कथन को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं । यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो अधिनियम/नियमों के सुसंगत उपबंधों के अंतर्गत मुझे उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

हस्ताक्षर …………………..

नाम ……………………….

मुहर ……………………….

परिशिष्ट घ2

[नियम 15 का उपनियम (4) देखें]

………. से ……………. तक की अवधि के लिए विनिर्मित कीटनाशियों (विनिर्मित/आयातित/घरेलू रूप से क्रय किए गए) की मासिक विवरणी/विवरण

क्रम संख्या	विनिर्माण कीटनाशी का नाम	बैच संख्या	अवसान की तारीख	विनिर्माण के लिए उपयोग किए गए तकनीकी श्रेणी के कीटनाशी की कुल मात्रा का विवरण (मीट्रिक टन)	विनिर्माण की कुल मात्रा (मीट्रिक टन)	क्रेता के नाम, पते और अनुज्ञप्ति संख्या सहित विक्रय की गई मात्रा (मीट्रिक टन)

							विनिर्मित	आयातित	घरेलू रूप से क्रय	विनिर्मित	आयातित	घरेलू रूप से क्रय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5क)	(5ख)	(5ग)	(6क)	(6ख)	(6ग)	(7क)	(7ख)	(7ग)

सत्यापन

मैं ………………………………….. सत्यापित करता/करती हूं कि ऊपर बताई गई बातें अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं ………………………………….. (पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में इस कथन को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं । यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो अधिनियम/नियमों के सुसंगत उपबंधों के अंतर्गत मुझे उत्तरदायी ठहराया जाएगा ।

हस्ताक्षर

……………………..

नाम ………………………..

मुहर ………………………..”।

[फा. सं. 12032/02/2023-पीपी-1]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650(अ),तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा इसमें सा.का.नि. 139(अ), तारीख 19 फरवरी, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

G.S.R. 493(E).– Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 674 (E), dated the 18th September, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 18th day of September, 2025;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. **Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force after a period of ninety days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The application for grant of a licence to manufacture any insecticide shall be made in digital mode in Form II to the licensing officer and shall be accompanied by a fee of rupees two thousand for every insecticide and a maximum of rupees twenty thousand for all insecticides for which the licence is applied.".

3. In the said rules, in rule 10, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The application for grant of a licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall be made in digital mode in Form II to the licensing officer and shall be accompanied by the fees specified in sub-rule (2)."

4. In the said rules, in rule 15,-

(a) in sub-rule (2), for the words "entered insecticide wise, in a register either in physical form or digital form", the words "made insecticide wise in digital mode" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the words "either in physical form or digital form", the words "in digital mode" shall be substituted;

(c) for sub-rule (4), following sub-rule shall be substituted, namely :-

" Every manufacturer or importer shall maintain in digital form of such sale, manufacture or import of technical Grade Insecticide and formulated Insecticide and submit the monthly statement or return to the licensing officer, in Appendix D1 to Form III and Appendix D2 to Form III respectively within fifteen days from the closing of the month.".

5. In the said rules, in rule 24,-

(a) in sub-rule (3), the words "in triplicate" shall be omitted;

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The receipt as specified in sub-rule (1) and supply of report as specified in sub-rule (3) shall be made in digital form.".

6. In the said rules, in rule 25, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the fee may also be paid in the digital mode.".

7. In the said rules, in rule 27, for clause (6), following clause shall be substituted, namely:-

"(6) to maintain a digital record of all inspections made and action taken by him in the performance of his duties including the taking of samples and seizure of stocks and to submit such record to the licensing officer and a digital record shall be maintained within twenty-four hours of all such

inspections made and action taken by him using physical form in the performance of his duties under rules 30, 32 and 33, or under the Act or under these rules."

8. In the said rules, in rule 30, after the word, letters and brackets "Form V(A)", the words ",either in physical or digital mode" shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 32, after the word, letters and brackets "Form V(B)", the words ",either in physical or digital mode" shall be inserted.

10. In the said rules, in rule 33, after the words "he takes it", the words ",either in physical or digital mode" shall be inserted.

11. In the said rules, in rule 34, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the form of intimation for test or analysis shall be issued in digital mode.".

12. In the said rules, in the FIRST SCHEDULE, in FORM III, for APPENDIX B, APPENDIX C1, APPENDIX C2, APPENDIX D1 and APPENDIX D2 and their entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"**APPENDIX B**

REGISTER FOR SALE/DISTRIBUTION OF INSECTICIDES [TECHNICAL AND FORMULATION (INCLUDING INSECTICIDES USED IN COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS)]

(RECORD TO BE MAINTAINED INSECTICIDE-WISE)

[See sub rule (2) of rule 15]

S. No	Date of receipt of the insecticide	Name of the manufacturer from whom received		Name of supplier/ distributor, if any, through whom received	Batch No	Date of manufacture	Date of expiry	Invoice details, number, date and quantity supply received (Metric tonnes) vide which supply received	Quantity (Metric tonnes)					Bill number(name and address to whom sold/ distributed date and quantity/ sold/ distributed)	Remarks
		Domestic	International						Previous balance if any	Received	Sold/ distributed		Balance		
											Domestic	International			

Date:

Signature

Company's seal

Verified with the record and found that the above information is correct.

Signature with date and seal of the Insecticide Inspector

APPENDIX C1

STOCK REGISTER OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDE

(To be maintained Insecticide wise)

[See sub-rule (3) of rule 15]

(Quantity in metric tonnes)

Date	Opening balance	Quantity			Total quantity	Quantity sold	Quantity utilised for formulation				Closing Balance
		imported	manufactured	Domestic purchase			Manufacture	imported	Domestically purchased	Total	
1	2	(3a)	(3b)	(3c)	(4) [3a+3b+3c]	(5)	(6e)	(6f)	(6g)	7 [6e+6f+6g]	8 [4]-[5+7]

APPENDIX C2

STOCK REGISTER OF FORMULATED INSECTICIDE

(To be maintained insecticide-wise)

[See sub-rule (3) of rule 15]

(Quantity in metric tonnes)

.S.No. (1)	Opening balance (2)	Technical grade insecticide (3)			Total technical grade insecticide (4) (2+3a+3b+3c)	Total Technical grade used for formulation (5)			Balance of Technical grade insecticides (6) 4-(5a+5b+5c)	Opening balance of formulations (7)	Quantity formulate (8)			Total formulated quantity (9) (8a+8b+8c)	Quantity sold (10)		Closing Balance (11) 9-(10a+10b)
											Manufactured (8a)	Imported (8b)	Domestically purchased (8c)		Domestic (10a)	International (10b)	
		Imported (3a)	Manufactured (3b)	Domestic purchased (3c)		Imported (5a)	Manufactured (5b)	Domestic purchased (5c)									

APPENDIX D1

[See sub rule (4) of rule 15]

MONTHLY RETURN / STATEMENT OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDES (MANUFACTURED / IMPORTED/ DOMESTICALLY PURCHASED) FOR THE PERIOD……….. TO …………….

Sl. No	Name of the insecticide	Batch number	Date of expiry	Details of total Quantity (Metric Tonnes)			Quantity utilized for formulations (Metric Tonnes)	Quantity sold (Metric Tonnes) with Name, address and licence number of purchaser	
				imported	Manufactured	Domestically Purchased		Domestic	International
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(5c)	(6)	(7a)	(7b)

VERIFICATION

I………………………………… do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on information derived from the records. I further declare that I am competent to verify this statement in my capacity as …………………………………… (Designation). In case the information is found to be false, I shall be held responsible under relevant provisions of the Act / Rules.

Signature……………………..
Name…………………………
Seal…………………………...

APPENDIX D2

[See sub rule (4) of rule 15]

MONTHLY RETURN/ STATEMENT FOR FORMULATED INSECTICIDES (MANUFACTURED/IMPORTED/ DOMESTICALLY PURCHASED) FOR THE PERIOD…….. TO ……..

Sl. No	Name of the insecticide Formulation	Batch number	Date of expiry	Details of total Quantity of technical grade insecticide used for formulation (Metric Tonnes)			Total Quantity of formulation (Metric Tonnes)			Quantity sold (Metric Tonnes) with Name, address and licence number of purchaser		
							manufactured	imported	Domestically purchased	Manufactured formulation	International	Domestically purchased
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(5c)	(6a)	(6b)	(6c)	(7a)	(7b)	(7c)

VERIFICATION

I………………………………… do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on information derived from the records. I further declare that I am competent to verify this statement in my capacity as …………………………………… (Designation). In case the information is found to be false, I shall be held responsible under relevant provisions of the Act / Rules.

Signature……………………..
Name…………………………
Seal…………………………..

[F. No. 12032/02/2023-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended *vide* G.S.R 139 (E) dated 19th February, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.20 11:27:48 +05'30'